

**संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश**  
(भूतल "डी" विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in  
E-mail: ayushmission.mp@mp.gov.in

Office(0755) 2763044  
Fax - (0755) 2760225

क्रमांक/10/आयुष मिशन/20/F.Mo-18/02

भोपाल, दिनांक 06/01/2021

//विज्ञापन//

राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत म.प्र. आयुष विभाग प्रदेश के आयुष हेल्थ एण्ड वैलनेस केन्द्रों में संविदा पर सेवाएं देने हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हताधारी आवेदकों से M.P. Online वेबसाइट www.mponline.gov.in पर दिनांक 25.01.2021 तक आवेदन आमंत्रित है। उक्त वेबसाइट पर चयन संबंधी नियम एवं आवश्यक जानकारी उपलब्ध है। संलग्न नियम पुस्तिकानुसार चयन परीक्षा (लिखित एवं साक्षात्कार) में चयनित अभ्यर्थियों को आयुष हेल्थ एण्ड वैलनेस केन्द्रों पर संविदा आधार पर व्यापक आयुष हेल्थ एण्ड वैलनेस सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने हेतु आयुष कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में सेवाएं देना होगी।

- आयु सीमा अनारक्षित वर्ग हेतु 21 से 40 वर्ष दिनांक 01.01.2021 तक हो। महिला उम्मीदवारों तथा आरक्षित वर्ग हेतु आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अर्थात् 45 वर्ष मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार होगी।
- केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किये जावेंगे।
- M.P. Online में पंजीयन एवं ऑनलाईन परीक्षा शुल्क अभ्यर्थियों के द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
- कुल 337 पदों पर आरक्षण निम्नानुसार लागू होगा।

कुल पद	अनारक्षित		अनारक्षित EWS		अन्य पिछडा वर्ग		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		दिव्यांग	
	म.	ओपन	म.	ओपन	म.	ओपन	म.	ओपन	म.	ओपन	म.	ओपन
337	91		34		91		54		67		20	
	30	61	11	23	30	61	18	36	22	45	7	13


\*नोट- विज्ञापन में अन्य पिछडा वर्ग हेतु 14 प्रतिशत के मान से पद पूर्ति की जावेगी। जो निम्नानुसार होगी:- (कुल 47 - महिला 16 एवं ओपन 31) शेष 44 पद मा. न्यायालय के अंतिम निर्णय तक खाली रखे जायेंगे। दिव्यांग का आरक्षण होरिजेंटल होगा। जिसमें दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित दिव्यांगता अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा में। हाथों की दिव्यांगता को छोड़कर शेष प्रकार की अस्थि बाधित दिव्यांगता स्वीकार्य, जिसकी अधिकतम सीमा 60 प्रतिशत स्वीकार्य।

**शैक्षणिक अर्हताए:-**

- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों अथवा भारतीय विश्वविद्यालयों या संबद्ध महाविद्यालयों से बी.ए.एम.एस. उत्तीर्ण उम्मीदवार।

चयनित उम्मीदवारों के लिये दिशा निर्देश:-

- आयुष हेल्थ एण्ड वेलनेस केन्द्र शासकीय आयुष औषधालयों को उन्नत कर स्थापित किये जा रहे हैं। अतः सेवाएं आयुष औषधालय स्तरीय क्षेत्रों में ही प्रदान करना होगी। अन्यत्र पदस्थापना नहीं की जा सकेगी।
- यह नियुक्ति संविदा के आधार पर 01 वर्ष के लिये है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार की अनुमति के पश्चात ही नियुक्तिकाल में वृद्धि की जा सकेगी।
- चयनित अभ्यर्थियों को मेरिट अनुसार पदस्थापना की जावेगी।
- चयन परिणाम जारी होने के पश्चात आयुष औषधालय स्तरीय आयुष हेल्थ एण्ड वेलनेस केन्द्र का आवंटन किया जावेगा।
- कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व निर्धारित प्रोफार्मा में 01 वर्ष तक कार्य संपादित करने हेतु बंध पत्र (Bond) निष्पादित किया जाना होगा।
- आयुष कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में नियुक्ति होने के पश्चात राष्ट्रीय आयुष मिशन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय प्रति माह देय होगा।



(प्रतीक हजेला)

आयुक्त

संचालनालय आयुष, म.प्र.



राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष विभाग म.प्र. के अंतर्गत  
कम्युनिटी हेल्थ आफीसर चयन नियम 2021

5.3 पररूपधारण (इम्प्रेसमेंटेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूपधारण कराया हो तो वयन से अयोग्य घोषित किया जाएगा।  
उम्मीदवार को अयोग्य माना जाएगा।

5.2 फर्जी कॅन्डिडेट/दस्तावेज, वयन के स्तर पर जानकारी मागत देना/ छुपाई गई हो तो ऐसे किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्रक्रिया किसी द्वारा परीक्षा/वयन के लिए अयोग्य माना जाएगा।

5.1 किसी उम्मीदवार को और से वयन के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राय करने के निरहेतु :-

4. आयु सीमा:- आवेदक को आवेदन की अंतिम तिथि का अधिकतम 40 वर्ष। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ वर्ग, नि:शक्लजन, महिलार्षी (अनारक्षित/आरक्षित) के लिये अधिकतम आयु सीमा में म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित नियम/ दिशा निर्देशानुसार छूट होगी।  
स्वच्छिकरण-आयु-सीमा को गणना करते समय हाइस्कूल प्रमाण-पत्र (10वीं) या इसकी अंकीयता में जो अनसूचित अंकित होगी उसे ही मान्य किया जाएगा। अन्य दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा तथा आयु को गणना आवेदन दिनांक की अंतिम तिथि से मान्य की जाएगी।

3. शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं :-  
3.1 विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से भारतीय विधिकरण पद्धति में न्यूनतम स्नातक उपाधि जो कि भारतीय विधिकरण केंद्रीय परीक्षा अर्हतायुक्त को अनुसूची II में सम्मिलित हो।  
3.2 मध्यप्रदेश आयुर्वेद, यूनानी विधिकरण प्रणाली एवं प्राकृतिक विधिकरण बोर्ड में नियुक्ति पूर्व पंजीकृत होना पंजीकृत हो। अन्य राज्यों से बी.ए.एम.एस. उत्तीर्ण उम्मीदवारों को नियुक्ति पूर्व मध्यप्रदेश आयुर्वेद, यूनानी विधिकरण प्रणाली एवं प्राकृतिक विधिकरण बोर्ड में जीवित/अवगत अर्हताएं होगी।

2. परियायण :-  
3. विभाग से तात्पर्य है आयुष विभाग मध्यप्रदेश।  
4. आयुष विभाग से तात्पर्य है- राष्ट्रीय आयुष विभाग।  
5. कर्मनिर्देश हेतु आफीसर से अभिप्रेत है आयुष विभाग अंतर्गत कर्मनिर्देश हेतु आफीसर।  
1. परीक्षा- परीक्षा से अभिप्रेत है कि आयुष विभाग अंतर्गत हेतु एण्ड वैनेस केंद्रों हेतु कर्मनिर्देश श्रेणी से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश के अंतर्गत घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ वर्ग निशक्ल जन एवं महिला अर्याधी।

1. सामान्य :-  
1.1 से नियम 'राष्ट्रीय आयुष विभाग, आयुष विभाग मध्यप्रदेश अंतर्गत हेतु एण्ड वैनेस केंद्र हेतु कर्मनिर्देश हेतु आफीसर वयन नियम' कहे जाएंगे।  
1.2 से नियम ऐसे अर्हतायुक्तों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश आयुष विभाग के अंतर्गत हेतु एण्ड वैनेस केंद्र हेतु कर्मनिर्देश हेतु आफीसर के अंतर्गत हेतु एण्ड वैनेस केंद्रों पर नियुक्त होंगे।  
1.3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग, के अंतर्गत CHO के पद पर वयन होने पर अन्य सेवा सांघिक अथवा नियमित में कार्यरत उम्मीदवार को नियुक्ति पूर्व कार्यरत पद से त्यागपत्र देना अनिवार्य होगा। यह सेवायुक्त नियुक्ति दिनांक से 01 वर्ष के लिये है। आवश्यकता एवं बजट की उपलब्धता के होने पर सेवा बर्हि की जा सकती।

5.4 कोई भी उम्मीदवार जिसके विरुद्ध आपराधिक मामला पुलिस/न्यायालय में सजा हुई हो वह चयन के लिये अर्ह नहीं होगा।

#### 6. चयन प्रक्रिया :-

- 6.1 (CHO) पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा/ साक्षात्कार के माध्यम से होगा। इस हेतु एम.पी. ऑनलाईन मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा ऑनलाईन चयन परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसका शुल्क अभ्यर्थी को स्वयं वहन करना होगा।
- 6.2 कम्प्यूनिटी हेल्थ आफिसर हेतु चयन के लिये एम.पी. ऑनलाईन द्वारा आयोजित ऑनलाईन परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। चयन हेतु रैंकिंग (मेरिट सूची) इन्हीं अंकों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
- 6.3 एम.पी.ऑनलाईन से प्राप्त मेरिट सूची के आधार पर साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा। अंतिम चयन हेतु अंक का अनुपात लिखित परीक्षा 80% एवं साक्षात्कार 20% का होगा।
- 6.4 अत्याधिक आवेदन प्राप्त होने पर 1:3 अनुपात में साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध होने हेतु लिखित परीक्षा M.P. Online के माध्यम से की जायेगी।
- 6.5 उक्त मानदण्डों के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कुल पदों की संख्या से कम होने पर आयुक्त आयुष म.प्र. आवश्यकतानुसार न्यूनतम अंकों की सीमा में कमी करने की कार्यवाही हेतु सक्षम होंगे।
- 6.6 मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत नियुक्त COVID- 19 कार्यानुभवी अभ्यर्थी को साक्षात्कार में वरीयता दी जावेगी।
- 6.7 समान अंक होने की स्थिति में निम्नानुसार वरीयता निर्धारण किया जायेगा:-
  - 6.7.1 जिस अभ्यर्थी की उम्र ज्यादा होगी वह मेरिट में दूसरे अभ्यर्थियों से ऊपर होगा।
  - 6.7.2 समान उम्र होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी का कार्यानुभव ज्यादा होगा वह मेरिट में दूसरे अभ्यर्थियों से ऊपर होगा।
  - 6.7.3 समान कार्यानुभव होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी का स्नातक में ज्यादा अंक होगा वह मेरिट में दूसरे अभ्यर्थियों से ऊपर होगा।
- 6.8 परीक्षा एवं साक्षात्कार की मेरिट के आधार पर हेल्थ एण्ड वेलनेस केंद्र आवंटित किया जावेगा।

#### 7. कम्प्युनिटी हेल्थ आफिसर के चयन हेतु अन्य निर्धारित दिशा निर्देश :-

- 7.1 अनुभव प्रमाण पत्र (चिकित्सा क्षेत्र में किसी आयुष विधा में पंजीकृत संस्था में किये गये कार्य का)।
- 7.2 सत्यापन प्रक्रिया में मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी भी मूल प्रमाण पत्र की कमी होने की स्थिति में उम्मीदवार अपात्र माने जायेगा एवं चयन नहीं किया जावेगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

#### 8. चयन रद्द करना :-

यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर अथवा सुसंगत तथ्यों को छुपाकर चयन में सफल हो जाता है या चयन के पश्चात् प्रमाण-पत्र फर्जी पाये गये एवं चूकवश चयन हो गया है तो उम्मीदवार का चयन तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जाएगा। चयन संबंधी किसी भी विवाद में आयुक्त आयुष का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

9. चयनित उम्मीदवार को संविदा आधार पर कम्प्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर जो आवंटित होगा में सेवाये देने हेतु आदेशित किया जावेगा। कार्यवधि के दौरान भारत सरकार राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत इन्हें मध्य प्रदेश के लिये निर्धारित मानदेय प्रतिमाह देय होगा।

10. कम्युनिटी हेल्थ आफिसर में चयन के पश्चात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में पदस्थापना के लिये नीति के निर्धारण एवं नियम के अर्थ लगाने हेतु आयुक्त आयुष अंतिम प्राधिकारी रहेगा।

11. चयन प्रक्रिया नियमों में संशोधन का अधिकार :-

आयुक्त आयुष म.प्र. चयन के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। इस तरह किया गया कोई भी संशोधन मान्य करना बंधनकारी होगा।

रवडे का फासपोर्ट  
साईज फोटो  
अपलोड करें

कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हेतु  
आवेदन पत्र का प्रारूप

1. उम्मीदवार का नाम - .....
2. पिता/पति का नाम - .....
3. जाति (सामान्य,अन्य पिछड़ा वर्ग,  
अनुसूचित जाति,अनुसूचित जन जाति)  
यदि आरक्षित वर्ग के है तो प्रमाण पत्र अपलोड करें। - .....
4. जन्मतिथि (10वीं की अंकसूची) - .....
5. व्यवहारिक पता - .....
6. आधार नम्बर - .....
7. ई-मेल आई डी - .....
8. मोबाईल नम्बर - .....
9. अर्हताकारी परीक्षा ( बी.ए.एम.एस.)उत्तीर्ण करने का वर्ष एवं संस्था का नाम .....
10. कार्यानुभव - .....
11. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद का जीवित/ अद्यतन पंजीयन दिनांक - .....
12. पदस्थापना हेतु आहा गया जिला/ सेंटर

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....
- 7.....
- 8.....
- 9.....
- 10.....
- 11.....
- 12.....
- 13.....
- 14.....
- 15.....
- 16.....
- 17.....
- 18.....
- 19.....
- 20.....
- 21.....
- 22.....
- 23.....
- 24.....
- 25.....
- 26.....
- 27.....

- 28.....  
29.....  
30.....  
31.....  
32.....  
33.....

समस्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति स्वयं सत्यापित कर अपलोड करें।

आवेदक का नाम- .....  
हस्ताक्षर - .....  
जिला - .....



घोषणा पत्र

1. मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन फर्निस्त किया जा सकेगा।
2. मैं प्रमाणित करती हूँ कि मुझे किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई भी प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

दिनांक .....

स्थान.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

आयुक्त आयुष  
मध्यप्रदेश